



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227474
CG-DL-E-10062021-227474

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2085]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 10, 2021/ज्येष्ठ 20, 1943

No. 2085]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 10, 2021/JYAISTHA 20, 1943

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2021

का.आ. 2245 (अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव श्री राजेश भूषण को श्रीमती प्रीति सूदन के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है तथा इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में का.आ. 3730 (अ) दिनांक 24 नवंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या वी-16011/01/2017 – आईएनआई -I, दिनांक 24 नवंबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः:

“2. श्री राजेश भूषण,
सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली।”

[फा.सं. वी-16011/01/2021 – आईएनआई-I]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना का.आ. 1924 (अ) दिनांक 16.07.2015 के तहत भारत के राजपत्र (अ) में प्रकाशित हुई थी और इसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :

- (i) का. आ 454 (अ) दिनांक 12.02.2016
- (ii) का. आ. 1052 (अ) दिनांक 11.03.2016
- (iii) का. आ. 2722 (अ) दिनांक 17.08.2016
- (iv) का. आ. 1848 (अ) दिनांक 08.06.2017
- (v) का. आ. 3730 (अ) दिनांक 24.11.2017
- (vi) का. आ. 2342 (अ) दिनांक 7.06.2018
- (vii) का. आ. 1711 (अ) दिनांक 9.05.2019
- (viii) का. आ. 2353 (अ) दिनांक 04.07.2019
- (ix) का. आ. 3132 (अ) दिनांक 29.08.2019
- (x) का. आ. 1457 (अ) दिनांक 01.04.2021

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2021

S.O. 2245 (E).—In exercise of powers conferred by Clause(e) of Section 4, read with Sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Shri Rajesh Bhushan, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi to be a member of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi in place of Smt. Preeti Sudan and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number V-16011/01/2017-INI-I dated the 24th November, 2017, published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 3730 (E) dated 24th November, 2017:-

In the said notification, for serial number 2 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

- “2. Shri Rajesh Bhushan,
Secretary,
Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi.”**

[F. No. V-16011/01/2021-INI-I]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Advisor

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India (E) Vide S.O. 1924(E) dated 16.07.2015 and amended further by:

- (i) S.O. 454(E) dated 12.02.2016
- (ii) S.O. 1052(E) dated 11.03.2016.
- (iii) S.O. 2722(E) dated 17.08.2016.
- (iv) S.O. 1848(E) dated 08.06.2017.
- (v) S.O. 3730(E) dated 24.11.2017.
- (vi) S.O. 2342(E) dated 7.06.2018.
- (vii) S.O. 1711(E) dated 9.05.2019.
- (viii) S.O. 2352 (E) dated 04.07.2019
- (ix) S.O. 3132 (E) dated 29.08.2019
- (x) S.O. 1457 (E) dated 01.04.2021